



पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले० व हक०) द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ०प्र० प्रयागराज
Phones: Off. 2622625-26
Fax; 0532-2624402

पत्रांक:-पेंशन विविध/LID-20484,19762,18704,21357,19795,18894,
19759,19424,

दिनांक:-

सेवा मे,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी

सुप्रसन्न कोषाधिकारी

विषय :- अन्य राज्यों के राज्य कर्मचारियों के पेंशन /पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान ।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक पेंशन विविध/मंहगाई राहत /अन्य प्रान्त/ दिनांक
के कम में मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त पेंशन /पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत सम्बन्धी
शासनादेशों की प्रतियाँ प्रेषित कर रहा हूँ, जिसके अनुसार सम्बन्धित राज्य की पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि
में मंहगाई राहत की दर एवं प्रभावी तिथि निम्नानुसार होगी:-

क्रमांक	राज्य का नाम	विषय /दर/प्रभावी तिथि	शासनादेश का संदर्भ
1	UTTARAKHAND	<p>1.राज्य सरकार के ऐसे सिविल / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी को मंहगाई राहत की स्वीकृति ।</p> <p>2. राज्य सरकार के ऐसे सिविल / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन छठवें / सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है को मंहगाई राहत की स्वीकृति ।</p> <p>3. छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों / उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान</p> <p>4. राज्य सरकार के ऐसे सिविल / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को मंहगाई राहत की स्वीकृति ।</p> <p>5. राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों</p> <p>6. पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/ उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01.01.2022 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान ।</p>	<p>(1) Ref No. G.O No. 325/XXVII(7) 02/2016 देहरादून दिनांक 29.12.2021</p> <p>(2) Ref No. GO No. / XXVII(7)/02/2016 देहरादून दिनांक 31.05.2022</p> <p>(3) Ref No. GO No. / XXVII(7)/02/2016 देहरादून दिनांक 31.05.2022</p> <p>(4) Ref No. G.O No. /XXVII(7) 02/2016 देहरादून दिनांक 31.05.2021</p> <p>(5) Ref No. G.O No. /XXVII(7) 02/2016 देहरादून दिनांक 31.05.2021</p> <p>(6) Ref No. G.O No. /XXVII(7) 02/2016 देहरादून दिनांक 31.05.2021</p>

2	RAJASTHAN	1. स्वतन्त्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत ।	(1) Ref No. G.O.No. 4(4)साप्र/6/2008 Dated 26.03.2021
3	MADHYA PRADESH	1. मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2022 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत के भुगतान बाबत	(1) Ref No. G.O. 1001/21-ब(एक)/2022 Dated 12.04.2022
4	NAGALAND	1. Payment of Dearness Relief to Nagaland Government Pensioners/ Family Pensioners. 2. Payment of Dearness Relief to Nagaland Government Pensioners/Family Pensioners.	(1) Ref No. G.O.- FIN/ROP/REL-8/87 (VOL-II), Dated 12.05.2022 (2) Ref No. G.O.- FIN/ROP/REL-8/87 (VOL-II), Dated 12.05.2022
5	BIHAR	1. सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशन भोगियों/ पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2022 के प्रभाव से 31 % से स्थान पर 34 % मंहगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में ।	1. Ref No G.O.No.3A-3-भत्ता-01/2022..... /वि- दिनांक 01/01/2022
6	PUDUCHERRY	1. Disbursement of arrears to Puducherry Pensioners/ Family Pensioners drawing pension under Ex-French Rules recommendations-	1. Ref No G.O.No . 20065 /FD / F3/2022-23 दिनांक 06/07/2022
7	PUNJAB	Clarification regarding payment of Leave Travel concession to Punjab Governemnt employees and Travel Concession to the Punjab Government pensioners	1. Ref No G.O.No . FD-FPPCOMISC/284/2021-3FPPC दिनांक 30/05/2022

आपसे अनुरोध है, कि संलग्न शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार उक्त दरों से, सम्बन्धित राज्य के पेंशनरों को पेंशन /पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान देयता के आधार पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवम इस कार्यालय को भी सूचित करें । उक्त आदेशों की प्रति कोषागार के नोटिस बोर्ड में चस्पा करके व्यापक रूप से प्रचारित कर एवं अपने अधीनस्थ उप कोषागारों एवं बैंको को भी एक प्रति प्रेषित करें ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन

No. Pension(Misc)/ 693

dated :- 11/08/2022

Copy forwarded for information and necessary action to:-

SL.	Name of the Office & Address
1	AG(A&E) Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun-248195
2	AG(A&E) Rajasthan, 2, Jasnpeth, "C" Scheme Jaipur-302005
3	Office of the Principal Accountant General (A&E)-II, Madhya Pradesh , Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior- 474002
4	Office of the Principal Accountant General (A&E) Nagaland, Kohima. 797001
5	Office of the Principal Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Path, Patna-800001
6	DIRECTORATE OF ACCOUNTS & TREASURIES D.A.T. Road, Rainbow Nagar, Puducherry-605001

7	Office of the Principal Accountant General (A&E), Punjab Chandigarh-160017
8	Director of Treasuries, Jawahar Bhawan, 10 th Floor, Lucknow 226001
9	निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ -226001
10	Sr. Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomatinagar, Lucknow-226010.
11	Dy. Accountant General (Pension) Cell Local.
12	Secretary to AG (A&E)-II, UP, Prayagraj

वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन

11.11.2022



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखण्ड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ, देहरादून - 248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड महंगाई राहत/22-23/649

दिनांक: 06/07/2022

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार (लेखा एव हक.) कार्यालय

1. विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।
2. विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।
3. विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/ पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।
4. विषय:- पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों /उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
5. विषय:- छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों /उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
6. विषय:- राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

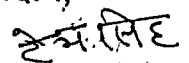
संदर्भ:- (I) उत्तराखण्ड शासन वित्त (सा०नि०-वे०आ०) अनुभाग-7, संख्या:- /XXVII
(7)02/2016 देहरादून दिनांक: 31.05.2022

(II) विषय (6) से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञापन का शुद्धि पत्र

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि, उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,



वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

1/37008/2022

1/37008/2022

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (साठि-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या- / XXVII(7)02/2016
देहरादून दिनांक 31 मई, 2022

कार्यालय झाप

विषय: राज्य सरकार के ऐसे
सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन
छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के
कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई
राहत की स्वीकृति।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No. /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated: May, 2022

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness
Relief of such civil/family
pensioners of the State
Government whose pension is not
revised according with the
recommendation of the 6th / 7th
pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन
छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में
पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय झाप
संख्या-327 /XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021
द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमण करते हुए
दिनांक 01-01-2022 से 368 प्रतिशत के स्थान पर 381
प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने को श्री
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the
Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates
w.e.f. 01-01-2022 @ 381% instead of 368%
superseding the earlier rates as is sanctioned vide
this Office Memorandum No. 327/XXVII (7)02/2016
Dated 24 December, 2021 for those pensioners whose
pension is not revised in accordance with the
recommendation of the 6th / 7th pay Commissions.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, 2.
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,
स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के
सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके
सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत
किया जाना अपेक्षित होगा।

These orders will not be applicable to the
Judges of High Court, Chairman and Members of
Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family
Pensioners of local bodies and Public Undertaking
Corporation etc. in respect of whom separate orders will
have to be issued by respective department.

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के कमीन
राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के ऐसे शैक्षिक
एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के
पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

These order will also be applicable to such
aided from State under the Education/Technical
Education Department whose Pension/Family Pension is
at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय झाप संख्या-ए-1-252
/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के
लिए महासंचालक के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
आत स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय झाप
के अधीन कर दिया जाय।

As per orders issued in O.M. No-A-1-
252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant
General Authority is not necessary for payment of relief
of pension and as such the payment, of dearness relief as
admissible under, this O.M.

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य
प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में
निर्धारित थे, अभाव में लागू रहेंगे।

Others terms and conditions regarding of
dearness relief laid down in earlier government orders
shall remain applicable as usual.

15/6/22
206

कार्यालय महासंचालक (लघु वित्त विभाग)
द्वारा सं. 565
15 JUN 2022
हस्ताक्षर
उत्तराखण्ड, देहरादून

DR
Sh. Ramesh

DR-31
28/6/22

88996494C9

20/7/22

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखण्ड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन:0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वि0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

संख्या- /XXVII(7)02/2016

देहरादून दिनांक 31 मई, 2022

कार्यालय-जाप

विषय: छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-328/XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना है अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से सातवें पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें दिनांक 01-07-2021 मूल वेतन का 196% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार के मंत्र संख्या-1/3(1)/2018-ई. II (बी) दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार छठवें वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें दिनांक 01-01-2022 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 196% को बढ़ाकर 203% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान छठवां वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत लागू रहेंगे।

6. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 01-05-2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ त्रुई पेंशन योजना से सम्बन्धित खातों में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

(सौजन्या)

सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (शासनि-वे0आ0)अनुभाग-7
संख्या- / XXVII(7)02/2016
देहरादून दिनांक 21 मई 2022

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक
पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की
संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को
महंगाई राहत की स्वीकृति।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated May 2022
31

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such
civil/family pensioners of the State
Government whose pension is revised in
accordance with the recommendation of
the 7th pay Commissions.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी
पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में
पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप
संख्या-325 /XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021
द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमिit करते हुए
दिनांक 01-01-2022 से 31 प्रतिशत के स्थान पर 34
प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the
Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates
w.e.f. 01-01-2022 @ 34% instead of 31 %
superseding the earlier rates as is sanctioned vide this
Office Memorandum No. 325/XXVII(7)02/2016 Dated
29 December, 2021 for those pensioners whose pension
is revised in accordance with the recommendation of the
7th pay Commissions.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,
स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के
सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके
सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत
किया जाना अपेक्षित होगा।

These orders will not be applicable to the
Judges of High Court, Chairman and Members of
Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family
Pensioners of local bodies and Public Undertaking
Corporation etc. in respect of whom separate orders will
have to be issued by respective department.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग
के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के
ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के
समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू
होंगे।

3. These orders will also be applicable to such
teaching and non-teaching pensioners of Institutions
aided from State under the Education/Technical
Education Department whose Pension/Family Pension is
at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-262
/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के
लिये महाजमाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप
के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-
252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant
General Authority is not necessary for payment of relief
of pension and as such the payment, of dearness relief as
admissible under, this O.M.

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य
प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में
निर्धारित थे, सम्बन्ध लागू रहेंगे।

Other terms and conditions regarding of
dearness relief laid down in earlier government orders
shall remain applicable as usual.

(सौजन्या)
सचिव।

(Sowjanya)
Secretary.

88996494 (9)
20/7/22

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखण्ड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन: 0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या- 86 / XXVII(7)02 / 2016
देहरादून: दिनांक 03 मई, 2022

शुद्धि-पत्र

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-37013/2022 में टंककीय त्रुटिवश दिनांक 31 मई, 2021 टंकित हो गया है।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-37013/2022 में दिनांक 31 मई, 2021 के स्थान पर दिनांक 31 मई, 2022 पढ़ा एवं समझा जाय।

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या-37013/2022 में दिनांक 31 मई, 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कार्यालय-ज्ञाप की शेष शर्तें यथावत् हैं।

Signed by Ganga Prasad

Date: 03-06-2022 11:21:47

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।

संख्या- 86 (1) / XXVII(7)02 / 2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
6. महानिबन्धक, भा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. वरिष्ठ वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या- /XXVII(7)02/2018
देहरादून: दिनांक 31 मई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-324/XXVII(7)/02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31% की दर से प्रतिमाह मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2/2022-E-II(B) दिनांक 31 मार्च, 2022 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-01-2022 से मूल वेतन में अनुमन्य मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 31% को बढ़ाकर 34% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 मई, 2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

5. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या- (1)/XXVII(7)02/2018, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/37009/2022

1/37009/2022

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या- /XXVII(7)02/2016
देहरादून दिनांक 31 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: पांचवे केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-326/XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से छठवें और सातवें केन्द्रीय वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें दिनांक 01-07-2021 से पांचवे केन्द्रीय वेतनमान में मूल वेतन का 368% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या-1/3(2)/2008-ई.II(बी) दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जो पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पांचवे वेतनमान में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें दिनांक 01-01-2022 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 368% को बढ़ाकर 381% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्र कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान पांचवा वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

6. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 01-05-2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा।

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या- (1)/XXVII(7)02/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

88996494 (C)
20/7/22

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखण्ड

“महालेखाकर भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन: 0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या- / XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक 31 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 31 May, 2022

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक
पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की
संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है,
को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such
civil/family pensioners of the State
Government whose pension is not revised
according with the recommendation of the
7th pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी
पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में
पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप
संख्या-329 / XXVII(7)02/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021
द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए
दिनांक 01-01-2022 से 196 प्रतिशत के स्थान पर 203
प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the
Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates
w.e.f. 01-01-2022 @ 203% instead of 196%
superseding the earlier rates as is sanctioned vide this
Office Memorandum No. 329/XXVII(7)02/2016 Dated
29 December, 2021 for those pensioners whose pension
is not revised according with the recommendation of the
7th pay Commissions.

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,
स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के
सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके
सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत
किया जाना अपेक्षित होगा।

These orders will not be applicable to the
judges of High Court, Chairman and Members of
Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family
Pensioners of local bodies and Public Undertaking
etc. in respect of whom separate orders will
have to be issued by respective department.

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग
के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के
ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के
समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू
होंगे।

These order will also be applicable to such
teaching and non-teaching pensioners of Institutions
aided from State under the Education/Technical
Education Department whose Pension/Family Pension is
at par with the pensioners of the State Government.

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252
/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के गुगतान के
लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
अतः स्वीकृत महंगाई राहत का गुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप
के अधीन कर दिया जाय।

5. As per orders issued in O.M. No-A-1-
252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant
General Authority is not necessary for payment of relief
of pension and as such the payment, of dearness relief as
admissible under, this O.M.

6. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य
प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में
निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6. Others terms and conditions regarding of
dearness relief laid down in earlier government orders
shall remain applicable as usual.

(सौजन्या)

(Sowjanya)

20/12/21

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखण्ड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन: 0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सांनि-वेआओ) अनुभाग-7
संख्या-325/XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक 20 दिसम्बर, 2021

कार्यालय झाप

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- 325/XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 20 December, 2021

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय झाप संख्या-220/XXVII(7)02/2016 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01-07-2021 से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमत्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2021 @ 31% instead of 28 % superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 220/XXVII(7)02/2016 Dated 24 September, 2021 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. यह आदेश माओ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमत्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय झाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के मुग्तान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का मुग्तान उक्त कार्यालय झाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M.

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(Amit Singh Negi)
Secretary.



सत्यमेव जयते

R 33774(E)
18/07/22

संख्या / No.....

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date

12-7-22

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 4(4)साप्र/6/2008

निदेशक,

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

विषय:- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.02.2019 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि रु. 25,000/- को बढ़ाकर 50,000/- रुपये (अक्षरों में: पचास हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। पूर्व में देय चिकित्सा राशि रु. 5000/- प्रतिमाह संचालित रहेगी। उक्त स्वीकृति 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

उक्त व्यय बजट मद 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन आदि, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24-पेंशन एवं उपादान (राज्य-निधि) से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आईडी0 क्रमांक 102101244 दिनांक 10.03.2021 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

महोदय,

(राजीव सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राजस्थान राज्य से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों को बढ़ी हुई पेंशन राशि के भुगतान की व्यवस्था करवाए।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
10. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1900-1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1900-1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1900-1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1900-1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1900-1901

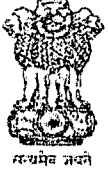
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1900-1901



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, मध्यप्रदेश
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



54524

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 1001/21-ब(एक)/2022

भोपाल, दिनांक 12.04.2022

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

00433

विषय:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2022 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत के भुगतान बाबत।

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11(बी), दिनांक 07.04.2022 के द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनमान) में मंहगाई भत्ता दिनांक 01.01.2022 से 196 से बढ़ाकर 203 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय मंहगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही मंहगाई भत्ता/ राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.01.2022 से पेंशन पर राहत 196 प्रतिशत से बढ़ाकर 203 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

- (1) पुनरीक्षित दरों से मंहगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11(बी), दिनांक 01.11.2021 एवं उसके अनुक्रम में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 07.04.2022 में बताई गई रीति से होगा।
- (2) इस आदेश के तहत देय मंहगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.01.2022 से नगद किया जावेगा।
- (3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(बी०के०द्विवेदी)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

डेमर
DA-10
19-5-22

No. 1/3(1)/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 7th April, 2022.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revised rates of Dearness Allowance to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised Pay Scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission from 01.01.2022

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 1/3(1)/2008-E.II(B) dated 1st November, 2021 on the subject mentioned above and to say that the rate of Dearness Allowance in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies who are continuing to draw their pay in the pre-revised Pay Scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission, shall be enhanced from the existing rate of 196% to 203% of Basic Pay w.e.f. 01.01.2022

2. The provisions contained in Paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(3)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.


(Nirmala Dev)
Director

To,

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).





भारत सरकार
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (ले. व. ह.) का कार्यालय
नागालैण्ड: कोहिमा
GOVERNMENT OF INDIA
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
NAGALAND: KOHIMA-797001



No. Pen/NL-DR/2021-22/137

Dated: 21/06/2022

To,

All the Pr. Accountants General/Accountants General
(As per mailing List).

Sub: Enhanced Dearness Relief to the Nagaland State Government Pensioner's and family Pensioners' w.e.f. 01-01-2022.

Sir/Madam,

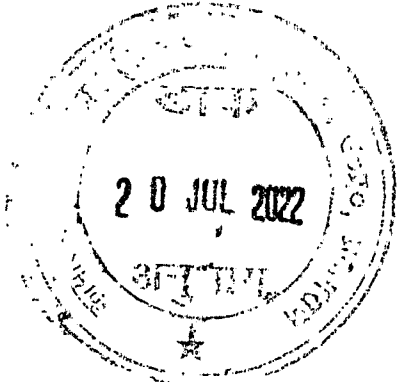
I am to forward herewith the Government of Nagaland Finance Department, O.M. No. FIN/ROP/REL-8/87(Vol-II) dated 12th May, 2022 regarding enhancement of Dearness Relief to Government of Nagaland Pensioners and Family Pensioners at the following rates.

Sl.no	Category of ROP	Existing rates	Enhanced rates	Net increase	Effective Dated
1	Nagaland Services(Revision of Pay) Rules, 2017	31%	34%	3%	01-01-2022
2	Nagaland Services(Revision of Pay) Rules, 2010.	196%	203%	7%	01-01-2022

Apart from these the Government of Nagaland, Department of Finance ROP Cell O.M. Vide.No.FIN/ROP/REL-08/87(Vol-II) dated the 12th May, 2022, standing order of release of Dearness Relief to the Nagaland State Government Pensioners/Family Pensioners as and when sanctioned by the Government of India without any further order from the State Government or authorization from the Accounts General has been kept in abeyance till further notice(vide Finance Department, Government of Nagaland Vide.No.FIN/ROP/REL-8/87(Vol-II) dated the 12th May, 2022. In future, for Revision of Dearness Relief, separate authorization will be issued as and when the same is revised by the State Government of Nagaland.

You are therefore requested to make necessary arrangement to circulate the O.M. to all Treasuries/Sub-Treasuries/Public Sector Banks under your jurisdiction for payment of enhanced rate of Dearness relief.

Encl: - As stated above.



फाइल नं. 19795
pen (misc)
4/6/22

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer(Pension).

लेखाधिकारी

कार्यलय महालेखाकार (ले. व. ह.)

नागालैण्ड कोहिमा

Accounts Officer

Office of the Accountant General
Nagaland - Kohima

GOVERNMENT OF NAGALAND
FINANCE DEPARTMENT
(ESTABLISHMENT BRANCH & ROP CELL)

No.FIN/ROP/REL-8/87 (Vol-II)

Dated : 12th May 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Relief to Nagaland Government Pensioners/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this department's O.M. of even number dated 10th November 2021 and to state that the Governor of Nagaland is pleased to enhance the Dearness Relief to Pensioners and Family Pensioners of the Government of Nagaland from the existing rate of 31% to 34% w.e.f 01.01.2022

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.
3. The Principal Accountant General (A&E), Nagaland, is requested to circulate this O.M. to the Accountant General of all States so that Pensioners of the Government of Nagaland drawing pensions under their jurisdiction may be authorized for payment of this relief at the earliest.

sd/-

(Sentianger Imchen)

Addl. Chief Secretary & Finance Commissioner

Dated : 12th May 2022

No.FIN/ROP/REL-8/87 (Vol-II)

Copy to:

1. The Secretary to the Governor of Nagaland, Raj Bhavan, Kohima.
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, Nagaland, Kohima.
3. The OSD to the Chief Secretary, Nagaland, Kohima.
4. The Chief General Manager-in-charge, Department of Government & Bank Accounts, Reserve Bank of India, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai 400 008 .
5. All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/ Commissioner & Secretaries/ Secretaries to the Government of Nagaland, Kohima.
6. The Principal Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima for necessary action please.
7. The Principal Director, Directorate of Treasuries & Accounts, Nagaland, Kohima with a request to circulate copies of the same to all the Treasuries/Sub-Treasuries for their information and necessary action.
8. All Heads of Departments Kohima/Dimapur
9. The Assistant General Manager & Convener, SLBC, S.B.I. Regional Business Office, Super Market Complex, Dimapur for circulation to all pension paying banks.
10. The PRC, New Delhi/DRC, Kolkata/ARC, Shillong/DRC, Guwahati.
11. The President, Nagaland Pensioners' Association, Nagaland, Kohima.
12. The Principal Secretary, IT&C Department, with the request to post this on the official website of the Government of Nagaland.
13. The Publisher, Nagaland Gazette, Nagaland, Kohima, for publication in the Gazette.
14. The Computer Cell, Finance Department, Nagaland, Kohima.



(Taliremba)

Commissioner & Secretary



प्र० महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना

संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2022...../वि०

 बिहार सरकार
 वित्त विभाग

सकल्प

पटना, दिनांक:-.....

विषय:-

सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2022 के प्रभाव से 31% के स्थान पर 34% महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं० 7530/वि० दिनांक-09/11/2021 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/07/2021 के प्रभाव से 31 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2/2022-E-II(B)

दिनांक-31/03/2022 के द्वारा सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक-01/01/2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 31% से बढ़ाकर 34% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

(i) सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2022 के प्रभाव से 31 प्रतिशत के स्थान पर 34 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महंगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त वर्धित महंगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2022 के पेंशन सवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

6. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देग जो भी देग नोभी

AG-II

 (SSDP/20)
 5/4/22

21355

 pen(misc)
 AK
 18/4/22

34495

208722

3/8/22

असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

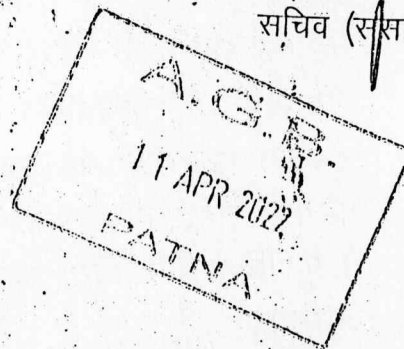
ज्ञापक:-3ए-3-भत्ता-01/2022-3024/वि०

पटना, दिनांक:- 08/04/2022

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।



प्रति
2
12042240965
11/4/22

No.20065/FD/F3/2022-23
GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
FINANCE DEPARTMENT

Puducherry, dt.06/07/2022

I.D. NOTE/OFFICE MEMORANDUM

Subj: FD - Disbursement of arrears to Puducherry Pensioners/
Family Pensioners drawing pension under Ex-French Rules
consequent on the Implementation of 7th CPC
recommendations - Orders - issued.

Ref: 1) G.O. Ms. No.33/F3/2017 dt. 23.08.2017
of Finance Department, Puducherry.
2) G.O. Ms. No.85/FD/F3/2021-22 dt.25.03.2022
of Finance Department, Puducherry.

Consequent to the disbursement of the Pay / Pension arrears due to the
Govt. employees, Pensioners/Family pensioners and Full time /Part time
Casual Labourers vide reference(2) cited above, approval is hereby accorded
for release of Pension arrears due to the Ex-French Pensioners/Family
Pensioners for the period from January 2016 to August 2016 (8 months) in
accordance with G.O.1 cited under reference.

//By Order//


06.07.2022
(ARJUN RAMAKRISHNAN)

UNDER SECRETARY TO GOVT. (FINANCE)

To

The Director of Accounts & Treasuries, Puducherry

Copy to

The Budget Officer, Finance Department, Puducherry

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E) PUNJAB,
CHANDIGARH - 160017.

(E)
UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY

PEN-12/Imp.Order/SSA.NO.17/22-23/34A-34AJ

Dated

5 JUL 2022

Subject:- Clarification regarding payment of Leave Travel concession to Punjab Government employees and Travel Concession to the Punjab Government pensioners.

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of Finance Department Pb. Govt. (Finance Pension Policy and coordination Branch) Notification No. FD-FPPCOMISC/284/2021-3FPPC dated 30/05/2022 on the subject cited above.

It is requested that this order may be circulated to all District Treasury officers under your control and Leave Travel concession to the Punjab Govt. pensioners may be allowed accordingly.

Please acknowledge receipt of the same.

Encl: As above

Yours faithfully

[Signature]

Sr. Accounts Officer

GOVERNMENT OF PUNJAB
DEPARTMENT OF FINANCE
(FINANCE PENSION POLICY AND COORDINATION BRANCH)

Dated: Chandigarh: 30.05.2022

To

- I. All Special Chief Secretaries, Additional Chief Secretaries, Financial Commissioners, Principal Secretaries and Administrative Secretaries to Government of Punjab.
- II. All Head of Departments of the State;
- III. All Commissioners of Divisions;
- IV. The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh;
- V. All Deputy Commissioners and District & Sessions Judges and;
- VI. Secretary, Punjab Vidhan Sabha.
- VII. All Pension Disbursing Banks

Subject: - Clarification regarding payment of Leave Travel concession to Punjab Government employees and Travel Concession to the Punjab Government pensioners

Sir/Madam,

I am directed to invite a reference to the subject cited above and to say that Finance Department has issued an instruction regarding payment of Travel Concession to only one pensioner in case both husband and wife are the Punjab Government pensioners vide letter no. 1/40/98-IFP3/15734 Dated-16-12-98.

2. Now it has come to the notice of the Government that some of the Pension Disbursing banks are making payment of Travel concession to both husband and wife who are Punjab Government pensioners, which is in contradiction of Punjab Government letter no. 1/40/98-IFP3/15734 Dated-16-12-98.
3. In addition to above, in the cases where one of the spouse is Punjab Government employee and the other is Punjab government Pensioner, it has been clarified that LTC can be extended to only one of them. Both the husband and wife cannot claim the LTC/TC separately.
4. All the Pension Disbursing banks are hereby directed to obtain undertaking as per Annexure A before disbursing the Travel Concession with the pension of June, 2022 paid in July, 2022.
5. All Leave Travel Concession sanctioning Authorities are also requested to obtain undertaking in the prescribed format (Annexure 'B') before sanctioning the LTC to any Punjab Government employee.

08 JUN 2022

Yours faithfully,

Jaswinder Singh
(Jaswinder Singh)

Under Secretary Finance

A copy of the above is forwarded (included one spare copy) to the following for information and necessary action: -

2022

ANNEXURE - B

Undertaking by employee

1. I _____ am employee of Punjab Govt. and my department is _____

2. I hereby declare that particulars of my spouse is as under:-

Name:

Employed/Pensioner:

Name of the Department:

IHRMS Code/PPO No.

Date of Retirement:

Name of Pension disbursing bank:

Bank Branch Name:

Bank Account No:

3. Whether spouse is claiming LTC from his/her department. (if no, a certificate in this regard from the LTC sanctioning authority must be attached if the employee opts to claim LTC.)

4. Whether spouse is claiming Travel concession from his/her pension disbursing bank. (If no, a certificate in this regard from the pension disbursing bank of the spouse must be attached if the employee opts to claim LTC)

5. As my spouse is not claiming/availing any LTC/TC from his/her employer or from pension disbursing bank as stated above, I hereby opt to draw Leave Travel Concession.

OR

As my spouse is claiming/availing any LTC/TC from his/her employer or from pension disbursing bank as stated above, I hereby opt not to draw Leave Travel concession.

Signatures

ANNEXURE - A

Undertaking by Pensioner

1. I _____ am pensioner of Punjab Govt. and my PPO no. is _____

2. I hereby declare that particulars of my spouse is as under:-

Name:

Employed/Pensioner:

Name of the Department:

IHRMS Code/PPO No.

Date of Retirement:

Name of Pension disbursing bank:

Bank Branch Name:

Bank Account No:

3. Whether spouse is claiming LTC from his/her department. (if no, a certificate in this regard from the LTC sanctioning authority must be attached if the pensioner opts to claim LTC.)

4. Whether spouse is claiming Travel concession from his/her pension disbursing bank. (if no, a certificate in this regard from the pension disbursing bank of the spouse must be attached if the pensioner opts to claim LTC)

5. As my spouse is not claiming/availing any LTC/TC from his/her employer or from pension disbursing bank as stated above, I hereby opt to draw Travel Concession with my pension.

OR

As my spouse is claiming/availing any LTC/TC from his/her employer or from pension disbursing bank as stated above, I hereby opt not to draw Travel concession with my pension.

Signature